न्यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद
रोहतास, सासाराम

सासाराम (मुफ.) थाना काण्ड सं. 369/2019

जीतन कुमार उर्फ मांझी उर्फ अमित कुमार
बनाम
बिहार सरकार

धारा 438 द.प्र.संहिता

22.09.2020 आवेदक जीतन कुमार उर्फ मांझी उर्फ अमित कुमार की ओर से दिनांक 20.02.2020 को दाखिल जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 438 द.प्र.संहिता पर सुनवाई पश्चात आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आवेदक जीतन कुमार उर्फ मांझी उर्फ अमित कुमार की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन है कि इस वाद के सूचक द्वारा आवेदक के विरूद्ध धारा 30;द्ध बिहार मद्य निषेध एवं संशोधित उत्पाद अधिनियम 2018 के अन्तर्गत आरोपित करते हुए सासाराम (मुफ.) थाना काण्ड सं. 369/2019 के रूप में प्राथमिकी दर्ज कराया है जिसके कारण आवेदक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है और उस गिरफ्तारी के भय से आवेदक द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 438द.प्र.संहिता में दाखिल किया गया है तथा अग्रिम जमानत आवेदन पत्र की प्रति पूर्व में ही विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद रोहतास सासाराम श्री रामेश्वर सिंह को दी गयी है।

संक्षेप में अभियोजन का मामला सूचक विरेश सिंह पु.अ.नि. सासाराम (मुफ.) के स्वलिखित आवेदन के आधार पर यह है कि सूचक दिनांक 02.12.2019 को ई.टी.0030745 मद्य निषेध बिहार पटना से प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम दहियार में महुआ देशी शराब गन्ना के खेत में है कि सूचना पर थाना से विशेष छापामारी दल के साथ ग्राम दहियार के लिए समय 05.30बजे प्रस्थान किया और ग्राम दहियार पंचायत रामपुर काली मंदिर से उत्तर दिशा में 40मीटर दूरी पर गन्ना के खेत के बीच में वाले स्थान में करीब 30लीटर देशी महुआ शराब पॉलिथिन में रखा पाया गया जिसका जब्ती सूची बगल के खेत में काम कर रहे मजदूरों कलिम अंसारी पिता अनवर अंसारी सा. धनपुरवा थाना सासाराम (मुफ.) जिला रोहतास एवं डबू राम पिता गोनौर राम सा. महदीनगर थाना सासाराम (मुफ.) जिला रोहतास के समक्ष चार पॉलिथिन में बरामद कुल 30 लीटर महुआ देशी शराब का विधिवत जब्ती सूची बना कर जब्त किया गया जिस पर दोनों साक्षियों के द्वारा स्वेच्छा से अपना अपना हस्ताक्षर बनाया गया। सशस्त्र बल के साथ आस–पास के लोगों को विश्वास में लेकर पूछ–ताछ गुप्त रूप से किया गया तो पता चला कि देशी शराब जीतन कुमार उर्फ मांझी उर्फ अमित कुमार पिता दुखी महतो ग्राम दहियार थाना सासाराम जिला रोहतास ने रखा है और वह शराब का व्यापार में संलग्न है तथा प्रायः जीतन कुमार उर्फ मांझी उर्फ अमित कुमार देशी शराब बेचता है। तत्पश्चात जब्त शराब को लेकर थाना वापस आये जिसके आधार पर आरोपित करते हुए यह काण्ड अंकित किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन है कि आवेदक निर्दोष है, उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है तथा घटनास्थल पर कोई भी घटना घटित नहीं हुई है। उसें गांव की गंदी ग्रामीण राजनीति के कारण दुश्मनीवश इस मामला में झूठा फँसाया गया है। सम्पूर्ण अभियोजन कथन बनावटी, निराधार एवं मिथ्या है तथा आरोपित आरोप आवेदक के विरूद्ध लागू नहीं होता है क्योंकि आवेदक के भौतिक कब्जा से उत्पाद संबंधी कोई मादक पदार्थ महुआ शराब बरामद नहीं किया गया है तथा जब्ती सूची के अनुसार बरामद शराब से आवेदक का कोई संबंध नहीं है। जब्ती सूची विधिपूर्वक तैयार नहीं किया गया है तथा जब्ती सूची के सभी गवाह पुलिस कर्मी हैं कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। आवेदक को घटना के दिन व समय पर घटनास्थल पर नहीं देखा गया है। प्राथमिकी के अनुसार जब्त 30लीटर शराब ग्राम रामपुर दहियार स्थित काली मंदिर से 40 मीटर दूरी पर स्थित गन्ना के खेत से बरामद किया गया है और जिस खेत से महुआ का शराब बरामद किये जाने की बात कही जाती है, उस खेत से आवेदक का कोई संबंध नहीं है तथा उक्त खेत का खाता संख्या एवं स्वामी का उल्लेख प्राथमिकी में नहीं किया गया है। आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और बिना किसी विधिक साक्ष्य उसके विरूद्ध यह मामला लाया गया है। आवेदक न्यायालय के आदेशानुसार बंध पत्र एवं धारा 438(2) द.प्र.संहिता में विहित शर्त्तों का अनुपालन करने हेतु तैयार है। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद रोहतास सासाराम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हुये इसे अस्वीकृत किये जाने का अनुरोध करते है।

लगातार

22.09.2020 उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के पश्चात मेरे द्वारा अभिलेख का परिशीलन किया गया। अभिलेख के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है और उसके विरूद्ध 30 लीटर अवैध महुआ का देशी शराब ग्राम रामपुर दहियार स्थित काली मंदिर से 40 मीटर दूरी पर स्थित गन्ना के खेत से बरामद किये जाने का आरोप है तथा अभियोजन कथन से यह भी स्पष्ट है कि ग्रामीणों द्वारा यह बतलाया गया है कि आवेदक जीतन कुमार उर्फ मांझी उर्फ अमित कुमार शराब बेचने का काम करते है। इसके अतिरिक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता बहस के दौरान यह दर्शाने में भी असफल रहे है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (थ्ण्ण्त्) में लगाये गये आरोप से आवेदक के विरूद्ध कथित अपराध सृजन हेतु आवश्यक तत्व मौजूद नहीं है।

उपरोक्त वर्णित सभी तथ्यों, परिस्थितियों वाद की प्रकृत्ति एवं लगाये गये आरोप की गम्भीरता तथा बरामद देशी महुआ शराब की मात्रा(30लीटर) एवं उत्पाद अधिनियम के तहत किये गये अपराध के लिए धारा 76 (2) बिहार मद्य निषेध एवं संशोधित उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत अग्रिम जमानत की पोषणीयता पर विचार करते हुए यह न्यायालय आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का पर्याप्त आधार नहीं पाती है। तद्नुसार आवेदक की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 20.02.2020 को **अस्वीकृत** किया जाता है।

(लेखापित)

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह
विशेष न्यायाधीश उत्पाद, रोहतास, सासाराम